उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्तर्जातीय सम्बन्धों का विश्लेषण

डॉ० निर्दोषिता बिष्ट,
असिस्टेंट प्रोफेसर,
समाजशास्त्र, रा०स्ना०महा०, द्वाराहाट (अल्मोड़ा)

कु० चम्पा आर्या,
शोध छात्रा,
समाजशास्त्र विभाग, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

सारांश

प्रस्तुत शोध अध्ययन 'उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्तर्जातीय सम्बन्ध' विषय के अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र के चयनित उत्तरदाता जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं तथा जजमानी व्यवस्था के तहत अपने कार्यों को सम्पादित करते हैं, एक–दूसरे को अपनी सेवाएं देते हैं। उनके सेवा करने तथा सेवा देने वाले लोगों के बीच आपसी सम्बन्धों का विश्लेषण प्रस्तुत अध्ययन में किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समाज के चयनित उत्तरदाताओं के एक–दूसरे के बीच जो अन्तर्जातीय सम्बन्ध हैं, उन सम्बन्धों का विश्लेषण करना है। आज ग्रामीण समुदाय में जाति व्यवस्था के नियम कमजोर पड़ने लगे हैं। नई भूमि व्यवस्था के अन्तर्गत भूमि से सम्बन्धित प्रौद्योगिकी भी बदलने लगी है। अब गाँवों में जजमानी व्यवस्था के स्वरूप में भी परिवर्तन हो रहा है। आज गाँवों में जजमानी व्यवस्था की अर्थव्यवस्था से ज्यादा कार्य नहीं होते हैं। अब गाँवों में जजमानी सम्बन्ध दिन–प्रतिदिन बदल रहे हैं। जजमानी व्यवस्था के अन्तर्गत ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अब रूपए का अधिक प्रयोग हो रहा है। इन सम्बन्धों का विश्लेशण करना इस प्रपत्र का उद्देश्य है।

मूल अवधारणाएँ : *ग्रामीण क्षेत्र, अन्तर्जातीय सम्बन्ध, सहभागिता, अधिकार।*

अन्तर्जातीय सम्बन्धों का ग्रामीण समाज में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसमें गाँवों के विभिन्न परिवार सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक रूप से दूसरे जातिगत परिवारों से सम्बद्ध होते हैं। प्रत्येक गाँव मुख्यतः इसमें दो बड़े समूहों में विभाजित दिखाई देता है– जजमान एवं सेवाएं उपलब्ध कराने वाली जातियाँ। पारम्परिक रूप से सेवा उपलब्ध कराने वाले सामान्यतः अन्न तथा नकद पैसे प्राप्त करते हैं। शुभ अवसरों एवं त्यौहारों पर उन्हें इसके अलावा अन्य पारिश्रमिक भी मिलता है। गाँवों में यह अन्तर्जातीय सम्बन्ध विभिन्न जातियों को एक वंशानुगत एवं स्थायी सम्बन्धों में बाँधे रखती है। जजमान मुख्यतः उच्च जाति के किसान परिवार के लोग माने जाते हैं। आधुनिक बाजार के विस्तार, नगरीकरण, औद्योगीकरण एवं उपभोक्तावाद के प्रचार के फलस्वरूप जजमानी व्यवस्था का प्रभाव दिनों–दिन कम हो रहा है।[1] हालांकि औद्योगीकरण, नगरीकरण तथा बाजार के विस्तार का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति और समाज को विकासशील बनाना है। इसलिए बहुत हद तक इन प्रक्रियाओं को एक कल्याणकारी प्रक्रिया भी माना जाता है। पर ऐसा भी नहीं है कि यह प्रक्रिया हमेशा कल्याणकारी ही रहती है। जब समाज परम्परागत व्यवस्था से आधुनिकता की ओर बढ़ता है तो कई बार हमें जाने–अनजाने में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। आधुनिकीकरण के दौरान शिक्षा के व्यापक प्रचार–प्रसार के चलते हर किसी को अपनी इच्छा और योग्यता के मुताबिक पढ़ने–लिखने का अवसर मिला है।

आधुनिकीकरण के चलते समाज में आधुनिक एवं परम्परागत मूल्यों के बीच हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है। लोग सामाजिक दायित्व भूलकर व्यक्तिगत स्वार्थ में लीन होने लगे हैं। पुरानी संस्थाएं टूटने लगी हैं और नई संस्थाएं उभरकर सामने आती हैं, जो सापेक्ष रूप से दीर्घायु नहीं हो पातीं। लोगों का जीवन सामाजिक नियमों से कम और सरकारी कानूनों से ज्यादा निर्देशित होता है।[2] इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि आधुनिकीकरण, औद्योगीकरण, नगरीकरण, पाश्चात्यीकरण तथा लौकिकीकरण से समाज में नये सामाजिक वर्गों को बढ़ावा मिला है, जिससे प्राचीन भारतीय सामाजिक संस्तरण की व्यवस्था में भी परिवर्तन हुआ है।[3] किन्तु इस बात को भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि भारतीय सामाजिक मूल्य जिनसे हमारी विशिष्ट पहचान होती थी, उनका उत्तरोत्तर ह्रास होता जा रहा है। भारत जैसे पारम्परिक सामाजिक व्यवस्था वाले समाज में जाति व्यवस्था को लेकर कोई एकरूप समझ बनाना एक दुरूह कार्य है। इसकी दुरूहता न केवल इसलिए है कि यह समाज जटिल पदानुक्रमित संरचित है, बल्कि इसलिए भी है कि यह अपने स्वरूप विन्यास तथा प्रतिरूपों में सामाजिक– सांस्कृतिक ऐतिहासिक–भौगोलिक अन्तर्सम्बन्धों में गहनतम रूप से विषमता विभेदिता मूलक है। भारतीय पारम्परिक समाज, जो कि मूलतः ब्राह्मणवादी समाज संरचना व्यवस्था पर आधारित है, की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी सोपानबद्ध जटिल संगठनात्मक जाति व्यवस्था है। अनेक समाज विचारकों, अध्येताओं ने इसके उद्‌भव, विकास और प्रसार को समझने का प्रयास किया है। जाति पर आधारित अस्मिताएं समकालीन भारतीय समाज में एक प्रबल शक्ति के रूप में उभरकर सामने आई हैं।[4] सामाजिक क्षेत्र में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि प्रदत्त प्रस्थिति के स्थान पर अर्जित प्रस्थिति के महत्व में वृद्धि, पुरानी मान्यताओं को त्यागकर नवीन धारणाओं को स्वीकारने की प्रवृत्ति में वृद्धि आदि को दर्शाती है। सामाजिक मूल्य की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए राधाकमल मुखर्जी ने कहा है कि "मूल्य सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त वे इच्छाएं अथवा लक्ष्य हैं, जिनका सामाजिक सीख या समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति के जीवन में अन्तरीकरण हो जाता है और इस प्रकार यह भावनात्मक आधार पर हमारी प्राथमिकताएं, मानदण्ड और आकाक्षाएं बन जाती हैं। हमारा सम्पूर्ण सामाजिक जीवन अनेक मनोसामाजिक दशाओं एवं परिस्थितियों से प्रभावित होता है। यहाँ तक कि हमारे रहन–सहन, वेश–भूषा, हाव–भाव एवं जीवन चित्रण में भी हमारे सामाजिक मूल्यों का समावेश होता है।[5]" ग्रामीण समाज में अन्तर्जातीय सम्बन्ध महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि यह आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह के कार्य और भूमिकाओं को निभाते हैं। इसकी भूमिका श्रम विभाजन और जातियों की आर्थिक अन्योन्याश्रयता को विनियमित करती है। यह भारतीय गाँवों को एक आत्मनिर्भर ईकाई के रूप में बनाये रखने का कार्य करती है। अन्तर्जातीय सम्बन्ध गाँवों में उच्च जातियों की प्रतिष्ठा को बनाये रखने में भी मदद करते हैं। कमिन जातियों से अपेक्षा की जाती है कि वे जजमान जातियों को अपनी सेवाएं दें, जिसके लिए कमिनों को निश्चित अन्तराल पर नकद या वस्तु के रूप में भुगतान किया जाता है। कमिनों के ग्राहक अलग–अलग गाँवों के हो सकते हैं। इस जजमान– कमिन सम्बन्ध में महत्वपूर्ण यह है कि विभिन्न आपात स्थितियों के दौरान जजमान से मुफ्त भोजन, मुफ्त कपड़े, किराया मुफ्त भूमि आदि के रूप में रियायतें देने की व्यवस्था सभी गाँवों में पारम्परिक नहीं हैं। चूँकि अधिकांश ग्रामीण आर्थिक संस्थाएं परिवर्तन के दौर से गुजर रही हैं, ऐसे परिवर्तन अन्तर्जातीय सम्बन्धों को भी प्रभावित कर रहे हैं। विभिन्न भूमि सुधारों ने जातियों के बीच परस्पर क्रिया पर अपना प्रभाव डाला है, जिसने धीरे–धीरे जजमानी व्यवस्था और

ग्रामीण जीवन की अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं को प्रभावित किया है।[6]

जजमान–कमिन सम्बन्ध में कई मानदण्ड और मूल्य शामिल हैं। अधिकारों, कर्तव्यों, भुगतानों, रियायतों आदि से सम्बन्धित विभिन्न मानदण्ड हैं। जजमानी प्रणाली में उदारता और दान के सांस्कृतिक मूल्य धार्मिक दायित्व हैं। लगभग सभी पवित्र धर्मनिरेपक्ष हिन्दू समाज जजमान और कमिन के बीच सम्बन्धों को अधिकृत करते हैं। जाति परिषदों के पास जजमानों और कमिनों को दंडित करने की शक्ति है। यदि वे कोई गलती करते हैं, तो जजमान के पास कमिन को दी गई भूमि को लेने की भी शक्ति है, यदि वह अपनी सेवाएं नहीं देता है।[7] प्रारम्भ में ग्रामीण समाज में जजमानी व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान था, परन्तु वर्तमान समय में यह व्यवस्था टूट रही है। स्वतंत्र भारत में सभी नागरिकों के समान अधिकार घोषित किए जाने और सरकार की ओर से पिछड़े वर्गों में धीरे–धीरे आत्म–सम्मान की भावना आती जा रही है और उनके अन्य जातियों से जजमानी के सम्बन्ध कमजोर होते जा रहे हैं। दूसरे गाँवों में भी अब सेवाओं के बदले मुद्रा देने का चलन होने से भी जजमानी व्यवस्था को धक्का लगा है। तीसरा जाति की शक्ति क्षीर्ण होने और व्यवसाय जाति पर आधारित न होने के कारण भी आपसी सम्बन्ध टूट रहे हैं। फिर नगरों के पास के लोग नगरों में जाकर नौकरियाँ करने तथा यातायात की सुविधाओं के बढ़ने से भी ग्रामीण क्षेत्रों में गतिशीलता बढ़ रही है।[8]

शोध अभिकल्प

प्रस्तुत शोध प्रपत्र अन्वेषणात्मक एवं वर्णनात्मक शोध अभिकल्प पर आधारित है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत प्रपत्र का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं में राजनीति सहभागिता, पंचायती राज का महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभावों, आरक्षण नीति एवं महिलाओं द्वारा राजनीति में भाग लेने को उचित मानने आदि के बार में अध्ययन करना है।

समग्र एवं प्रतिदर्श

प्रस्तुत अध्ययन का समग्र उत्तराखण्ड राज्य के कुमाऊँ मण्डल स्थित अल्मोड़ा जनपद का भिकियासैन ब्लॉक है। अध्ययन समग्र के अन्तर्गत कुल 376 ग्राम हैं। इन 376 में से उद्देश्यपूर्ण निदर्श पद्धति द्वारा 2 ग्रामों का चयन किया गया। इस आधार पर भनरिया काली व भिकियासैन ग्राम चयनित किए गए। इन गाँवों में परिवारों की संख्या क्रमशः 291 व 523 थी। इन दोनों ही गाँवों में से समानुपातिक संस्तरित निदर्शन पद्धति द्वारा 40 प्रतिशत परिवारों को चयन किया गया। इस प्रकार अन्तिम रूप से अध्ययन हेतु परिवारों की क्रमशः 116 तथा 209 अर्थात् कुल 325 परिवार अध्ययन के लिए चयनित निदर्श होंगे। परिवार के मुखिया ही अध्ययन की इकाई होंगे।

सामुदायिक संगठन में अन्तर्जातीय सम्बन्धों को सहायक मानने के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

अन्तर्जातीय व्यवस्था के अन्तर्गत गाँव के विभिन्न ऊँची–नीची जातियों को पारस्परिक रूप से एक–दूसरे की सेवाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। इस पारस्परिक आश्रितता तथा निर्भरता के कारण ग्रामीण समाज का संगठन सुदृढ़ बना रहता है। इस प्रकार ग्रामीण समुदाय के लोगों में सामूहिक इच्छा और संगठन की भावना विकसित होती है।[9] अन्तर्जातीय सम्बन्धों के अन्तर्गत प्रत्येक जाति का एक निश्चित परम्परागत व्यवसाय होता है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत सभी जातियाँ परस्पर एक–दूसरे को अपनी–अपनी सेवाएं देती हैं,

जिससे इनमें सामुदायिकता की भावना का विकास होता है तथा सामुदायिक संगठन मजबूत होता है। अन्तर्जातीय सम्बन्धों को सामुदायिक संगठन में सहायक मानने के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं के प्रत्युत्तरों को निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका – 1.1

सामुदायिक संगठन में अन्तर्जातीय सम्बन्धों को सहायक मानने के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्रम संख्या	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	सामुदायिक संगठन में अन्तर्जातीय सम्बन्धों को सहायक मानते हैं।	167	51.39
2.	सामुदायिक संगठन में अन्तर्जातीय सम्बन्धों को सहायक नहीं मानते हैं।	71	21.84
3.	थोड़ा–बहुत सहायक मानते हैं।	76	23.38
4.	कोई उत्तर नहीं।	1	3.39
योग		**325**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अन्तर्जातीय सम्बन्धों को सामुदायिक संगठन में सहायक मानने के सम्बन्ध में 51.39 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि अन्तर्जातीय सम्बन्ध सामुदायिक संगठन में सहायक होते हैं। 21.84 प्रतिशत उत्तरदाता अन्तर्जातीय सम्बन्धों को सामुदायिक संगठन के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं। 23.38 प्रतिशत उत्तरदाता अन्तर्जातीय सम्बन्धों में सामुदायिक संगठन के लिए थोड़ा–बहुत सहायक मानते हैं। जबकि 3.39 प्रतिशत उत्तरदाता इस सम्बन्ध में अपना कोई उत्तर नहीं देते हैं।

अन्तर्जातीय सम्बन्धों को मानसिक सुरक्षा में सहायक मानने के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

अन्तर्जातीय सम्बन्ध परम्परागत व्यवस्था पर निर्भर है। इस व्यवस्था में प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता है जो परम्परागत होता है तथा पीढ़ी–दर–पीढ़ी हस्तान्तरित होता है। अन्तर्जातीय सम्बन्धों का ग्रामीण समाज में महत्वपूर्ण स्थान होता है। ऑस्कर लेविस के अनुसार– "इस व्यवस्था के अन्तर्गत एक गाँव में रहने वाले प्रत्येक जाति समूह से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अन्य जातियों के परिवारों को कुछ प्रामाणित सेवाएं प्रदान करें।" इस व्यवस्था के अन्तर्गत सेवा देने वालों के जीवन निर्वाह का साधन पूर्व निश्चित होता है। व्यक्ति को यह सोचना नहीं पड़ता है कि उसको क्या व्यवसाय करना है। इससे सेवा करने वाले तथा सेवा लेने वाले व्यक्ति को मानसिक सुरक्षा मिलती है। अन्तर्जातीय सम्बन्धों को मानसिक सुरक्षा में सहायक मानने के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं के प्रत्युत्तरों को निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका – 1.2

अन्तर्जातीय सम्बन्धों को मानसिक सुरक्षा में सहायक मानने के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्रम संख्या	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	इससे मानसिक सुरक्षा मिलती है।	136	41.85
2.	इससे थोड़ी बहुत मानसिक सुरक्षा मिलती है।	109	33.54
3.	मानसिक सुरक्षा नहीं मिलती है।	43	13.23
4.	कुछ कह नहीं सकते हैं।	37	11.38
योग		**325**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अन्तर्जातीय सम्बन्धों को मानसिक सुरक्षा में सहायक मानने के सम्बन्ध में 41.85 उत्तरदाताओं को इससे मानसिक सुरक्षा मिलती है। 33.54 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इससे थोड़ी बहुत मानसिक सुरक्षा मिलती है। 13. 23 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इससे मानसिक सुरक्षा नहीं मिलती है तथा 11.38 उत्तरदाताओं का कहना है कि वे अन्तर्जातीय सम्बन्धों को मानसिक सुरक्षा में सहायक मानने के सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकते हैं।

अन्तर्जातीय सम्बन्धों में पारस्परिक कर्तव्य बोध और अधिकारों की मौजूदगी को मानने के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

योगेन्द्र सिंह के अनुसार, "जजमानी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो गाँव के अन्तर्जातीय सम्बन्धों में पारस्परिकता पर आधारित सम्बन्धों, कर्तव्य बोध और अधिकारों पर आधारित है।" अन्तर्जातीय सम्बन्धों में कर्तव्य और अधिकार दोनों ही साथ–साथ चलते हैं। यदि जजमान को सेवक से काम लेने का अधिकार है तो उसका यह पुनीत कर्तव्य भी है कि उसके काम के बदले में उसे उसका हक भी दिया जाये, जिससे उसके जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अध्ययन क्षेत्र के चयनित उत्तरदाताओं ने अन्तर्जातीय सम्बन्धों में पारस्परिक कर्तव्य बोध और अधिकारों के सम्बन्ध में अपने जो प्रत्युत्तर शोधार्थिनी को दिए हैं, वे निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत हैं।

तालिका – 1.3

अन्तर्जातीय सम्बन्धों में पारस्परिक कर्तव्य बोध और अधिकारों की मौजूदगी को मानने के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्रम संख्या	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	पारस्परिक कर्तव्य बोध और अधिकार मौजूद होते हैं।	141	43.39
2.	पारस्परिक कर्तव्य बोध और अधिकार मौजूद नहीं होते हैं।	103	31.69
3.	कोई उत्तर नहीं।	81	24.92
योग		**325**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अन्तर्जातीय सम्बन्धों में पारस्परिक कर्तव्य बोध और अधिकारों की मौजूदगी के सम्बन्ध में 43.39 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार अन्तर्जातीय सम्बन्धों में पारस्परिक कर्तव्य बोध और अधिकार मौजूद होते हैं। 31.69 प्रतिशत उत्तरदाता इसमें पारस्परिक कर्तव्य बोध और अधिकारों को मौजूद नहीं मानते हैं। इसके साथ ही 24.92 प्रतिशत उत्तरदाता अन्तर्जातीय सम्बन्धों में पारस्परिक कर्तव्य बोध और अधिकारों की मौजूदगी के सम्बन्ध में अपना कोई उत्तर नहीं देते हैं।

अन्तर्जातीय सम्बन्धों में स्थायी साधनों को आधार मानने के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

अन्तर्जातीय सम्बन्धों का भारतीय ग्रामीण समाज में महत्वपूर्ण स्थान है। यह ग्रामीण समाज में एक सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था है। सेवा प्रदान करने वाला वर्ग जिस वर्ग को सेवा प्रदान करता है वो सेवा प्राप्त करने वाला वर्ग जजमानी कहलाता है। अन्तर्जातीय सम्बन्धों की इस व्यवस्था से ग्रामीण समाज सुदृढ़ होता है। समाज की सारी जातियाँ समाज को एक अंग के रूप में निर्दिष्ट करती हैं।[10] इस व्यवस्था से लोगों के आपस में स्थायी सम्बन्ध बनते हैं, जो पीढ़ी–दर–पीढ़ी स्थायी बने रहते हैं। उत्तरदाताओं से जब अन्तर्जातीय सम्बन्धों में स्थायी सम्बन्ध बनने के विषय में शोधार्थिनी ने पूछा तो इसके प्रत्युत्तर में उत्तरदाताओं ने अपने जो उत्तर दिए हैं, उन्हें निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका – 1.4

अन्तर्जातीय सम्बन्धों में स्थायी साधनों को आधार मानने के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्रम संख्या	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	अन्तर्जातीय सम्बन्धों में स्थायी सम्बन्ध होते हैं।	273	84.00
2.	अन्तर्जातीय सम्बन्धों में अस्थायी सम्बन्ध होते हैं।	52	16.00
योग		**325**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अन्तर्जातीय सम्बन्धों में स्थायी सम्बन्धों को आधार मानने के सम्बन्ध में 84 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि अन्तर्जातीय सम्बन्धों में लोगों के बीच स्थायी सम्बन्ध होते हैं। जबकि 16 प्रतिशत उत्तरदाता अन्तर्जातीय सम्बन्धों में लोगों के बीच अस्थायी सम्बन्ध मानते हैं।

अन्तर्जातीय सम्बन्धों में शान्ति व संतोष की भावना को मानने के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

अन्तर्जातीय सम्बन्ध व्यवस्था मुख्य पेशों और सेवाओं के आधार पर गठित थी, जिससे एक सुदृढ़ ग्राम तथा समुदाय बनता था जो सबकी सेवाओं के पारस्परिक हित के लिए उपयोग करता था। अन्तर्जातीय सम्बन्धों के अन्तर्गत प्रत्येक

परिजन का अनिवार्य सामाजिक बीमा हो पाता है। अतः दुर्घटना, मृत्यु अथवा बीमारी या लड़की के विवाह आदि के अवसर पर जजमान से अनिवार्य रूप से सहायता मिलती है। अन्तर्जातीय सम्बन्धों के अन्तर्गत सभी परजन निश्चिन्त रहते हैं और अपने जजमान के भरोसे रहते हैं। यह श्रम का एक व्यावसायिक विभाजन है, जिसमें भूमिका सम्बन्धों की एक प्रणाली शामिल होती है।[11] जिससे लोगों को शान्ति व संतोष प्राप्त होता है। अन्तर्जातीय सम्बन्धों से लोगों में शान्ति व संतोष की भावना की मौजूदगी को आधार मानने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्युत्तरों को निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका – 1.5

अन्तर्जातीय सम्बन्धों में शान्ति व संतोष की भावना को मानने के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्रम संख्या	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	अन्तर्जातीय सम्बन्धों से शान्ति व संतोष मिलता है।	163	50.15
2.	अन्तर्जातीय सम्बन्धों से शान्ति व संतोष नहीं मिलता है।	101	31.08
3.	कोई उत्तर नहीं।	61	18.77
योग		**325**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अन्तर्जातीय सम्बन्धों से लोगों को शान्ति व संतोष मिलने के सम्बन्ध में 50.15 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि इससे उनको शान्ति व सन्तोष मिलता है। 31.08 प्रतिशत उत्तरदाताओं को अन्तर्जातीय सम्बन्धों से शान्ति व संतोष नहीं मिलता है। जबकि 18.77 प्रतिशत उत्तरदाता इस सम्बन्ध में अपना कोई उत्तर नहीं देते हैं।

अन्तर्जातीय सम्बन्धों के व्यवसायिक आधार को मानने के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

जजमानी व्यवस्था में जातियों के द्वारा अपने निर्धारित व्यवसाय के आधार पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इन सेवाओं को प्राप्त करने वाला जजमान सेवा प्रदाताओं को आवश्यक वस्तुएं, अनाज, वस्त्र इत्यादि प्रदान करता है। चूँकि जाति का निर्धारित अपना पेशा होता है, अतः दूसरी जाति का व्यक्ति उन कार्यों को नहीं कर सकता है।[12] अध्ययन क्षेत्र के चयनित उत्तरदाताओं से जब शोधार्थिनी ने प्रश्न किया कि क्या आप अन्तर्जातीय सम्बन्धों में व्यावसायिक आधार देखते हैं तो इसके प्रत्युत्तर में उत्तरदाताओं ने जो उत्तर दिये, उन्हें निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका – 1.6

अन्तर्जातीय सम्बन्धों के व्यावसायिक आधार को मानने के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्रम संख्या	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	अन्तर्जातीय सम्बन्धों में व्यावसायिक आधारों को मानते हैं।	149	45.85
2.	अन्तर्जातीय सम्बन्धों में व्यावसायिक आधारों को नहीं मानते हैं।	103	31.69
3.	कुछ कह नहीं सकते हैं।	73	22.46
योग		**325**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं द्वारा अन्तर्जातीय सम्बन्धों के व्यवसायिक आधारों को मानने के सम्बन्ध में 45.85 प्रतिशत उत्तरदाता अन्तर्जातीय सम्बन्धों में व्यवसायिक आधारों को मानते हैं। 31.69 प्रतिशत उत्तरदाता अन्तर्जातीय सम्बन्धों में व्यवसायिक आधारों को नहीं मानते हैं। जबकि इसके साथ ही 22.46 प्रतिशत अन्तर्जातीय सम्बन्धों के व्यवसायिक आधारों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकते हैं, की बात करते हैं।

घनिष्ठ सम्बन्धों को अन्तर्जातीय सम्बन्धों का आधार मानने के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

अन्तर्जातीय सम्बन्धों के कारण जजमान तथा परजन वर्ग में सम्बन्धों की घनिष्ठता पाई जाती है। वे एक–दूसरे के कार्यों को लगन से करते हैं। जजमान के यहाँ विवाह आदि के अवसर पर जजमान को पूर्ण सहयोग देते हैं। जजमान भी अपने–अपने परजन की सहायता करते हैं। परजन के सभी कार्य उनके जजमानों की सहायता से सम्पन्न होते हैं। इस प्रकार इन दोनों की निकटता तथा सम्बन्धों की घनिष्ठता से परस्पर अपनत्व या निजीपन विकसित होता है।[13] घनिष्ठ सम्बन्धों को अन्तर्जातीय सम्बन्धों का आधार मानने के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं के प्रत्युत्तरों को निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका – 1.7

घनिष्ठ सम्बन्धों को अन्तर्जातीय सम्बन्धों का आधार मानने के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्रम संख्या	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	इससे एक–दूसरे के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होते हैं।	163	50.16
2.	इससे एक–दूसरे के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं होते हैं।	111	34.15
3.	कोई उत्तर नहीं।	51	15.69
योग		**325**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं के एक–दूसरे के साथ सम्बन्धों में घनिष्ठता को आधार मानने के सम्बन्ध में 50.16 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि अन्तर्जातीय सम्बन्धों में एक–दूसरे के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होते हैं। 34. 15 प्रतिशत उत्तरदाता अन्तर्जातीय सम्बन्धों में एक–दूसरे के साथ घनिष्ठ सम्बन्धों को आधार नहीं मानते हैं। इसके साथ ही 15.69 प्रतिशत उत्तरदाता इस सम्बन्ध में अपना कोई उत्तर नहीं देते हैं।

पैतृक सम्बन्धों को अन्तर्जातीय सम्बन्धों का आधार मानने के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

जजमानी प्रणाली पारम्परिक व्यवसायिक दायित्वों की एक प्रणाली है। प्रारम्भिक भारत में जातियाँ आर्थिक रूप से एक–दूसरे पर निर्भर थीं। एक ग्रामीण के पारम्परिक विशिष्ट व्यवसाय ने उसी जाति को सौंपी गई विशेषज्ञता के कारण ग्रामीण समाज में सेवाओं का आदान–प्रदान हुआ। 'सेवारत' और 'सेवित' जातियों के बीच यह सम्बन्ध संविदात्मक, व्यक्तिगत, अवैयक्तिक, अस्थाई या सीमित नहीं था, बल्कि यह जाति उन्मुख, दीर्घकालिक और व्यापक रूप में सहायक थी।[14] 'सेवारत' एवं 'सेवित' जातियों के बीच पैतृक सम्बन्ध होते थे जो आगे को भी चलते रहते थे। पैतृक सम्बन्धों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्युत्तरों को निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका – 1.8

पैतृक सम्बन्धों को अन्तर्जातीय सम्बन्धों का आधार मानने के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्रम संख्या	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	इससे एक–दूसरे के साथ पैतृक सम्बन्ध होते हैं।	159	48.92
2.	इससे एक–दूसरे के साथ पैतृक सम्बन्ध नहीं होते हैं।	127	39.08
3.	कोई उत्तर नहीं।	39	12.00
योग		**325**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अन्तर्जातीय सम्बन्धों में पैतृक सम्बन्धों को आधार मानने के सम्बन्ध में 48.92 प्रतिशत उत्तरदाता अन्तर्जातीय सम्बन्धों में एक–दूसरे के साथ पैतृक सम्बन्धों को मानते हैं। 39.08 प्रतिशत उत्तदाता एक–दूसरे के साथ पैतृक सम्बन्धों को नहीं मानते हैं। इसके साथ ही 12 प्रतिशत उत्तरदाता पैतृक सम्बन्धों के आधार के सम्बन्ध में अपना कोई उत्तर नहीं देते हैं।

अन्तर्जातीय सम्बन्धों को राजनीतिक सुदृढ़ता में सहायक मानने के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

अन्तर्जातीय सम्बन्धों के आधार पर संगठित भारतीय गाँव देश की शासन प्रणाली को प्रभावपूर्ण बनाने तथा राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध हुए हैं। राधाकमल मुखर्जी ने कहा है कि "पूर्व के देशों की राजनीतिक प्रभुसत्ता की अपेक्षा सामाजिक एकता पर अधिक निर्भर है। यहाँ के विधान राज्य की स्वेच्छाचारी

आज्ञा पर आधारित न होकर प्रथाओं और परम्पराओं पर अधिक आधारित हैं।"[15] अन्तर्जातीय सम्बन्धों को राजनीतिक सुदृढ़ता में सहायक मानने के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं से प्राप्त प्रत्युत्तरों को निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका – 1.9

अन्तर्जातीय सम्बन्धों को राजनीतिक सुदृढ़ता में सहायक मानने के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्रम संख्या	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	अन्तर्जातीय सम्बन्धों को राजनीतिक सुदृढ़ता मिलती है।	187	57.54
2.	अन्तर्जातीय सम्बन्धों को राजनीतिक सुदृढ़ता नहीं मिलती है।	91	28.00
3.	कुछ कह नहीं सकते हैं।	47	14.46
योग		**325**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अन्तर्जातीय सम्बन्धों को राजनीतिक सुदृढ़ता में महत्वपूर्ण मानने के सम्बन्ध में 57.54 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि अन्तर्जातीय सम्बन्धों से राजनीतिक सुदृढ़ता मिलती है। 28 प्रतिशत उत्तरदाता अन्तर्जातीय सम्बन्धों को राजनीतिक सुदृढ़ता में सहायक नहीं मानते हैं। जबकि 14.46 प्रतिशत उत्तरदाता इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकते हैं, की बात करते हैं।

अन्तर्जातीय सम्बन्धों को धार्मिक आधार मानने के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

हिन्दू जीवन बहुत से संस्कारों तथा कर्मकाण्डों की पूर्ति से बँधा हुआ है। व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक धार्मिक क्रियाओं को पूरा करते रहना अनिवार्य है। जाति संस्तरण में किसी व्यक्ति की स्थिति चाहे कितनी भी ऊँची अथवा नीची हो, इन सब धार्मिक क्रियाओं को वह अकेले पूरा नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए विवाह संस्कार को सम्पन्न कराने के लिए व्यक्ति को जहाँ एक ओर ब्राह्मण की सेवा लेना आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर नाई, धोबी, कहार, माली तथा अन्य दूसरी जातियों के व्यक्तियों के बिना उसका कार्य नहीं चल सकता है। अन्तर्जातीय सम्बन्धों को धार्मिक आधार मानने के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं से प्राप्त प्रत्युत्तरों को निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका – 1.10

अन्तर्जातीय सम्बन्धों को धार्मिक आधार मानने के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्रम संख्या	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	अन्तर्जातीय सम्बन्धों का आधार धार्मिक होता है।	171	52.62
2.	अन्तर्जातीय सम्बन्धों का आधार धार्मिक नहीं होता है।	123	37.85
3.	कुछ कह नहीं सकते हैं।	31	9.53
योग		**325**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं द्वारा अन्तर्जातीय सम्बन्धों को धार्मिक आधार मानने के सम्बन्ध में 52.62 प्रतिशत उत्तरदाता अन्तर्जातीय सम्बन्धों का आधार धार्मिक मानते हैं। 37.85 प्रतिशत उत्तरदाता अन्तर्जातीय सम्बन्धों का आधार धार्मिक नहीं मानते हैं। इसके साथ ही 9. 53 प्रतिशत उत्तरदाता अन्तर्जातीय सम्बन्धों के धार्मिक आधार के सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकते हैं, की बात करते हैं।

अन्तर्जातीय सम्बन्धों को सामाजिक आधार मानने के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

अन्तर्जातीय सम्बन्धों की आवश्यकता सामाजिक आधार पर भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। यदि सभी जातियाँ एक–दूसरे से बिल्कुल पृथक रहती तो विभिन्न जातियों के बीच ऊँच–नीच का संस्तरण बने रहने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार सभी जातियों को अपनी एक विशेष सामाजिक स्थिति का बोध कराने के लिए भी अन्तर्जातीय सम्बन्धों की एक निश्चित व्यवस्था का होना आवश्यक हो जाता है। इस आधार पर प्रत्येक जाति समूह द्वारा एक–दूसरे को अपनी सेवाएं इस प्रकार देना आवश्यक समझा गया। इन सबने समाज में सामाजिक समरसता के माहौल को विकसित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तरदाताओं ने अन्तर्जातीय सम्बन्धों को सामाजिक आधार मानने के सम्बन्ध अपने जो प्रत्युत्तर दिये, उन्हें निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका – 1.11

अन्तर्जातीय सम्बन्धों को सामाजिक आधार मानने के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्रम संख्या	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	सामाजिक आधार होता है।	163	50.15
2.	सामाजिक आधार नहीं होता है।	93	28.62
3.	कुछ कह नहीं सकते हैं।	69	21.23
योग		**325**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अन्तर्जातीय सम्बन्धों को सामाजिक आधार मानने के सम्बन्ध में 50.15 प्रतिशत उत्तरदाता अन्तर्जातीय सम्बन्धों का सामाजिक आधार मानते हैं। 28.62 प्रतिशत उत्तरदाता अन्तर्जातीय सम्बन्धों का सामाजिक आधार नहीं मानते हैं। इसके साथ ही 21.23 प्रतिशत उत्तरदाता अन्तर्जातीय सम्बन्धों के सामाजिक आधार के सम्बन्ध में कुछ कह सकने की स्थिति में नहीं हैं।

अन्तर्जातीय सम्बन्धों को वैवाहिक सम्बन्धों का आधार मानने के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

अन्तर्जातीय सम्बन्धों की व्यवस्था विभिन्न जातियों के बीच वैवाहिक सम्बन्धों के बारे में निश्चित नियम प्रतिपादित करती है। इस सम्बन्ध में सर्वमान्य और अधिक कठोर नियम यह है कि प्रत्येक व्यक्ति केवल अपनी जाति के अन्दर ही

वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करेगा। इसे अन्तर्विवाह कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने से उच्च अथवा निम्न जाति में विवाह सम्बन्धों की स्थापना करता है तो उसे उसकी जाति पंचायत कठोर दंड देती है। ऐसे व्यक्ति की सन्तानों को न तो पिता की जाति में मान्यता मिलती है और न ही माता की जाति में। वैवाहिक क्षेत्र में अन्तर्जातीय सम्बन्धों का दूसरा रूप 'कुलीन विवाह' के रूप में देखने को मिलता है। इसके अनुसार एक जाति के अन्दर ही विभिन्न परिवारों के पारम्परिक सम्बन्धों को व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया गया है। अन्तर्जातीय सम्बन्धों में वैवाहिक सम्बन्धों का आधार मानने के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं से प्राप्त प्रत्युत्तरों को निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका – 1.12

अन्तर्जातीय सम्बन्धों को वैवाहिक सम्बन्धों का आधार मानने के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्रम संख्या	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	वैवाहिक सम्बन्धों के आधार होते हैं।	173	53.23
2.	वैवाहिक सम्बन्धों के आधार नहीं होते हैं।	79	24.31
3.	कुछ कह नहीं सकते हैं।	73	22.46
योग		**325**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं द्वारा अन्तर्जातीय सम्बन्धों को वैवाहिक सम्बन्धों का आधार मानने के सम्बन्ध में 53.23 प्रतिशत उत्तरदाता अन्तर्जातीय सम्बन्धों को वैवाहिक सम्बन्धों का आधार मानते हैं। 24.31 प्रतिशत उत्तरदाता अन्तर्जातीय सम्बन्धों को वैवाहिक सम्बन्धों का आधार नहीं मानते हैं। इसके साथ ही 22.46 प्रतिशत उत्तरदाता अन्तर्जातीय सम्बन्धों को वैवाहिक सम्बन्धों के आधार के सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकने की बात करते हैं।

अन्तर्जातीय सम्बन्ध में वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित होने के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

सेवाओं का आदान–प्रदान पैसे पर नहीं बल्कि वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित होता है। सेवा करने वाले परिवार को उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बदले में वस्तुएँ मिलती हैं। हालांकि कुछ मामलों में उन्हें पैसा भी मिल सकता है। वस्तुतः 'जजमान' और 'परजन' के बीच का रिश्ता मालिक और नौकर का नहीं होता। जजमान अपने परजन की सभी जरूरतों का ख्याल रखता है। जब भी जरूरत होती है तब जजमान उसकी मदद करता है।[16] अन्तर्जातीय सम्बन्ध वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित होने के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं से प्राप्त प्रत्युत्तरों को निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका – 1.13

अन्तर्जातीय सम्बन्ध में वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित होने के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्रम संख्या	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	अन्तर्जातीय सम्बन्ध वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित होते हैं।	137	42.16
2.	अन्तर्जातीय सम्बन्ध वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित नहीं होते हैं।	119	36.61
3.	कोई उत्तर नहीं।	69	21.23
योग		**325**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अन्तर्जातीय सम्बन्ध वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित होने के सम्बन्ध में 42.16 प्रतिशत उत्तरदाता स्वीकार करते हैं कि अन्तर्जातीय सम्बन्ध वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित होते हैं। 36.61 प्रतिशत उत्तरदाता अन्तर्जातीय सम्बन्धों को वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित नहीं मानते हैं। इसके साथ ही 21.23 प्रतिशत उत्तरदाता अन्तर्जातीय सम्बन्धों के स्वरूप के विषय में अपना कोई उत्तर नहीं देते हैं।

विभिन्न जातियों को सेवा देने के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

रेड्डी के अनुसार– "जजमानी व्यवस्था में परम्परगत रूप से एक जाति का सदस्य दूसरी जाति को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। ये सेवा सम्बन्ध पारम्परिक रूप से शामिल होते हैं एवं जजमान–परजन सम्बन्ध कहलाते हैं।" अन्तर्जातीय सम्बन्धों में एक परिवार दूसरे को सम्पूर्ण रूप से कुछ नियत सेवाएं देता है। जैसे कर्मकाण्ड सम्पन्न करवाना, हजामत बनाना, कृषि हेतु मजदूरी करना। ये सम्बन्ध पीढ़ियों तक जारी रहते हैं और इनका भुगतान सामान्यतः नकद की अपेक्षा फसल के एक नियत भाग के रूप में किया जाता है।[17] उत्तरदाताओं द्वारा अपनी सेवाएं समाज की सभी जातियों के लोगों को दी जाती हैं। उत्तरदाताओं द्वारा ग्रामीण समाज के जिन लोगों को अपनी सेवाएं दी जाती हैं उनका विवरण निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका – 1.14

विभिन्न जातियों को सेवा देने के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्रम संख्या	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	ब्राह्मणों को सेवा देते हैं तथा उनकी सेवाएं लेते हैं।	111	34.15
2.	क्षत्रियों को सेवा देते हैं तथा उनकी सेवाएं लेते हैं।	109	33.54
3.	नीची जाति के लोगों को सेवा देते हैं तथा उनकी सेवाएं लेते हैं।	105	32.31
योग		**325**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विभिन्न जातियों को सेवा देने के सम्बन्ध में 34.15 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि वे ब्राह्मणों को अपनी सेवाएं देते हैं तथा वे भी ब्राह्मणों की सेवाएं प्राप्त करते हैं। 33.54 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार वे क्षत्रियों को अपनी सेवाएं देते हैं और वे स्वयं भी उनकी सेवाएं लेते हैं। जबकि 32.31 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि वे नीची जाति के लोगों को अपनी सेवाएं देते हैं तथा बदले में वे भी उनकी सेवाएं प्राप्त करते हैं।

अन्तर्जातीय सम्बन्धों को शोषण का आधार मानने के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

अन्तर्जातीय सम्बन्धों के विषय में ऑस्कर लेविस ने रामपुर गाँव में जजमानी प्रणाली के अपने अध्ययन में बताया है कि अन्तर्जातीय सम्बन्ध पहले व्यक्तिगत सम्बन्धों पर आधारित होता था, लेकिन अब यह जजमानों द्वारा शोषण का साधन बन गया है।[18] अध्ययन क्षेत्र के चयनित उत्तरदाताओं से जब शोधार्थिनी ने प्रश्न किया कि क्या अन्तर्जातीय सम्बन्धों से आपका शोषण होता है, तो इसके प्रत्युत्तर में उत्तरदाताओं द्वारा जो उत्तर दिये गये, उन्हें निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका – 1.15

अन्तर्जातीय सम्बन्धों को शोषण का आधार मानने के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्रम संख्या	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	अन्तर्जातीय सम्बन्धों में शोषण होता है।	109	33.54
2.	अन्तर्जातीय सम्बन्धों में शोषण नहीं होता है।	159	48.93
3.	कोई उत्तर नहीं।	57	17.53
योग		**325**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अन्तर्जातीय सम्बन्धों को शोषण का आधार मानने के सम्बन्ध में 33.54 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि अन्तर्जातीय सम्बन्धों में शोषण होता है। 48.93 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार अन्तर्जातीय सम्बन्धों में शोषण नहीं होता है जबकि 17.53 प्रतिशत उत्तरदाता इस विषय में अपना कोई उत्तर नहीं देते हैं।

गाँव के शक्तिशाली लोगों की सेवा करने के लिए बाध्य किए जाने के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

बीडलमैन के अनुसार जजमान और कमीन के बीच शक्ति आबंटन में सांस्कारिक पवित्रता और अपवित्रता (Ritual Purity and Pollution) महत्वपूर्ण नहीं है। निम्न जाति के व्यक्ति का भले ही जजमान हो, उच्च जाति के कमीन से नीचे ही माना जाता है। उच्च जाति की शक्ति भू–स्वामित्व

और धन पर आधारित होती है और कमीन के पास यह शक्ति नहीं होती है। हैराल्ड गूल्ड ने माना है कि मौलिक अन्तर एक ओर भू–स्वामी कृषक जातियों में जो सामाजिक व्यवस्था में प्रमुख रखती है और दूसरी ओर भूमिहीन नीच एवं दस्तकारी जातियों के बीच पाया जाता है।[19]

उत्तरदाताओं से जब शोधार्थिनी द्वारा प्रश्न किया गया कि क्या गाँव के शक्तिशाली लोगों की सेवा करने के लिए प्रभुत्वशाली लोगों द्वारा आपको बाध्य किया जाता है, तो इसके प्रत्युत्तर में उत्तरदाताओं ने अपने जो उत्तर दिए, उन्हें निम्नलिखित तालिका प्रस्तुत किया गया है।

तालिका – 1.16

गाँव के शक्तिशाली लोगों की सेवा करने के लिए बाध्य किए जाने के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्रम संख्या	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	शक्तिशाली लोगों द्वारा सेवा के लिए बाध्य किया जाता है।	–	–
2.	शक्तिशाली लोगों द्वारा सेवा के लिए बाध्य नहीं किया जाता है।	307	94.46
3.	कोई उत्तर नहीं।	18	5.54
योग		**325**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि गाँव के शक्तिशाली लोगों की सेवा करने के लिए बाध्य किए जाने के सम्बन्ध में 94.46 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि उन्हें सेवाओं के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। जबकि 5.54 प्रतिशत उत्तरदाता इस विषय में अपना कोई उत्तर नहीं देते हैं। अध्ययन क्षेत्र के चयनित उत्तरदाताओं में कोई भी ऐसा उत्तरदाता नहीं पाया गया जिसने शक्तिशाली लोगों द्वारा सेवा किए जाने के लिए बाध्य किए जाने की बात स्वीकार की हो।

गाँवों में पुरोहितों के महत्व के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

ग्राम, समुदाय हमारे समाज की मूल इकाई रहे हैं और इसमें ग्राम की सभी जातियाँ ग्राम समुदाय के अंग के रूप में व्यवस्थित होती हैं। ये सभी जातियाँ मूलतः पेशों पर आधारित होती हैं। जजमानी प्रथा में कृषक गृहस्थ ही जजमान होता है और बाकी सब लोग एक प्रकार से उसके पुरोहित होते हैं। चाहे वे ब्राह्मण पुरोहित हों, कुम्हार, तेली, नाई, धोबी, माली, दर्जी, बढ़ई आदि जो भी हों, सभी कृषक गृहस्थों को अपना जजमान मानते हैं।[20] जजमानी वैदिक शब्द है, जिसका इस्तेमाल उस संरक्षक के लिए होता है, जो समुदाय के लिए कोई यज्ञ सम्पन्न कराने के निमित्त से किसी ब्राह्मण को नियुक्त करता है। गाँवों में पुरोहितों के महत्व के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं ने अपने जो प्रत्युत्तर दिये हैं, उन्हें निम्नलिखित तलिका में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका – 1.17

गाँवों में पुराहितों के महत्व के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्रम संख्या	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	गाँवों में पुरोहितों का महत्व अधिक होता है।	193	59.38
2.	गाँवों में पुरोहितों का महत्व अधिक नहीं होता है।	113	34.77
3.	कोई उत्तर नहीं।	19	5.85
योग		**325**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि गाँव में पुरोहितों के महत्व के सम्बन्ध में 59.38 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि गाँवों में पुरोहितों का महत्व अधिक होता है। 34.77 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार गाँवों में पुरोहितों का महत्व अधिक नहीं होता है। जबकि 5.85 प्रतिशत उत्तरदाता तटस्थ पाए गए, उन्होंने इस विषय में अपना कोई उत्तर नहीं दिया।

कर्मकाण्डों के प्रति लोगों के विश्वासों के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

जजमानी प्रथा भारत में ग्रामीण समुदाय के अन्तर्गत विभिन्न जातियों के परिवारों के बीच एक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है, जिसके अनुसार एक परिवार दूसरे को सम्पूर्ण रूप से कुछ नियत सेवाएं देता है। जैसे– कर्मकाण्ड सम्पन्न करवाना, यज्ञ करवाना, नामकरण संस्कार सम्पन्न करवाना आदि। अनेक कर्मकाण्ड गाँवों में लोगों द्वारा किये जाते हैं। शिक्षा के बढ़ते प्रचार–प्रसार ने अब लोगों को जागरूक कर दिया है। अब गाँवों में लोग जरूरी कर्मकाण्डों का ही निष्पादन करते हैं। कर्मकाण्डों के प्रति लोगों के विश्वासों में अब गाँवों में भी कमी देखी जाने लगी है। कर्मकाण्डों के प्रति उत्तरदाताओं के विश्वासों को निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका – 1.18

कर्मकाण्डों के प्रति लोगों के विश्वासों के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्रम संख्या	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	कर्मकाण्डों के प्रति लोगों के विश्वासों में कमी आई है।	127	39.08
2.	कर्मकाण्डों के प्रति लोगों के विश्वासों में कोई कमी नहीं आई है।	155	47.69
3.	कोई उत्तर नहीं।	43	13.23
योग		**325**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कर्मकाण्डों के प्रति लोगों के विश्वासों के सम्बन्ध में 39.08 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार कर्मकाण्डों के प्रति लोगों के विश्वासों में कमी आई है। 47.69 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि कर्मकाण्डों के प्रति लोगों के विश्वासों में कोई कमी नहीं आई है। जबकि 13.23 प्रतिशत उत्तरदाता इस विषय पर अपना कोई उत्तर नहीं देते हैं।

पौरोहित्य कर्म को जजमानी व्यवस्था में द्वितीयक व्यवसाय मानने के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

जजमानी व्यवस्था के सम्बन्ध में कोलेन्डा की मान्यता है कि भारत के बहुत से गाँवों में अन्तर्जातीय सम्बन्धों में प्रबल जातियाँ शक्ति संतुलन अपनी ओर कर लेती हैं। योगेन्द्र सिंह भी विश्वास करते हैं कि भारत के गाँवों में आजकल आर्थिक संस्थाओं, सत्ता संरचना और अन्तर्जातीय सम्बन्धों के अर्थ बदल रहे हैं। आज जजमानी व्यवस्था के द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ज्यादा कार्य नहीं हो रहा है। अब गाँवों में अन्तर्जातीय सम्बन्धों का स्वरूप बदल रहा है। आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अब रुपए का अधिक प्रयोग हो रहा है। शोधार्थिनी द्वारा जब उत्तरदाताओं से प्रश्न किया गया कि क्या पौरोहित्य कर्म को जजमानी व्यवस्था में आप द्वितीयक व्यवसाय मानते हैं, तो इसके प्रत्युत्तर में उत्तरदाताओं द्वारा जो बताया गया, उसे निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका – 1.19

पौरोहित्य कर्म को जजमानी व्यवस्था में द्वितीयक व्यवसाय मानने के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्रम संख्या	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	पौरोहित्य कर्म द्वितीयक व्यवसाय बन गया है।	145	44.62
2.	पौरोहित्य कर्म द्वितीयक व्यवसाय नहीं है।	112	34.46
3.	कोई उत्तर नहीं।	68	20.92
योग		**325**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पौरोहित्य कर्म को जजमानी व्यवस्था में द्वितीयक व्यवसाय मानने के सम्बन्ध में 44.62 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि पौरोहित्य कर्म द्वितीयक व्यवसाय बन गया है। 34.46 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार पौरोहित्य कर्म द्वितीयक व्यवसाय नहीं है। जबकि 20.92 प्रतिशत उत्तरदाता इस विषय पर मौन हैं और वे अपना कोई उत्तर नहीं देते हैं।

चयनित अध्ययन क्षेत्र के उत्तरदाताओं में अन्तर्जातीय सम्बन्धों को सामुदायिक संगठन में सहायक मानने के सम्बन्ध में 51.39 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि अन्तर्जातीय सम्बन्ध सामुदायिक संगठन में सहायक होते हैं। 21.84 प्रतिशत उत्तरदाता अन्तर्जातीय सम्बन्धों को सामुदायिक संगठन के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं। 23.38 प्रतिशत उत्तरदाता अन्तर्जातीय सम्बन्धों में सामुदायिक संगठन के लिए थोड़ा–बहुत सहायक मानते हैं। जबकि 3.39 प्रतिशत उत्तरदाता इस सम्बन्ध में अपना कोई उत्तर नहीं देते हैं। अन्तर्जातीय सम्बन्धों को मानसिक सुरक्षा में सहायक मानने के सम्बन्ध में 41.85 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इससे मानसिक सुरक्षा मिलती

है। 33.54 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इससे थोड़ी बहुत मानसिक सुरक्षा मिलती है। 13.23 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इससे मानसिक सुरक्षा नहीं मिलती है तथा 11.38 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि वे अन्तर्जातीय सम्बन्धों को मानसिक सुरक्षा में सहायक मानने के सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकते हैं। अन्तर्जातीय सम्बन्धों में पारस्परिक कर्तव्य बोध और अधिकारों की मौजूदगी के सम्बन्ध में 43.39 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार अन्तर्जातीय सम्बन्धों में पारस्परिक कर्तव्य बोध और अधिकार मौजूद होते हैं। 31.69 प्रतिशत उत्तरदाता इसमें पारस्परिक कर्तव्य बोध और अधिकारों को मौजूद नहीं मानते हैं। इसके साथ ही 24.92 प्रतिशत उत्तरदाता अन्तर्जातीय सम्बन्धों में पारस्परिक कर्तव्य बोध और अधिकारों की मौजूदगी के सम्बन्ध में अपना कोई उत्तर नहीं देते हैं।

अन्तर्जातीय सम्बन्धों में स्थायी सम्बन्धों को आधार मानने के सम्बन्ध में 84 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि अन्तर्जातीय सम्बन्धों में लोगों के बीच स्थायी सम्बन्ध होते हैं। जबकि 16 प्रतिशत उत्तरदाता अन्तर्जातीय सम्बन्धों में लोगों के बीच अस्थायी सम्बन्ध मानते हैं। अन्तर्जातीय सम्बन्धों से लोगों को शान्ति व संतोष मिलने के सम्बन्ध में 50.15 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि इससे उनको शान्ति व सन्तोष मिलता है। 31.08 प्रतिशत उत्तरदाताओं को अन्तर्जातीय सम्बन्धों से शान्ति व संतोष नहीं मिलता है। जबकि 18.77 प्रतिशत उत्तरदाता इस सम्बन्ध में अपना कोई उत्तर नहीं देते हैं। उत्तरदाताओं द्वारा अन्तर्जातीय सम्बन्धों के व्यावसायिक आधारों को मानने के सम्बन्ध में 45.85 प्रतिशत उत्तरदाता अन्तर्जातीय सम्बन्धों में व्यावसायिक आधारों को मानते हैं। 31. 69 प्रतिशत उत्तरदाता अन्तर्जातीय सम्बन्धों में व्यावसायिक आधारों को नहीं मानते हैं। जबकि इसके साथ ही 22.46 प्रतिशत अन्तर्जातीय सम्बन्धों के व्यावसायिक आधारों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकते हैं, की बात करते हैं। उत्तरदाताओं के एक–दूसरे के साथ सम्बन्धों में घनिष्ठता को आधार मानने के सम्बन्ध में 50.16 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि अन्तर्जातीय सम्बन्धों में एक–दूसरे के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होते हैं। 34.15 प्रतिशत उत्तरदाता अन्तर्जातीय सम्बन्धों में एक–दूसरे के साथ घनिष्ठ सम्बन्धों को आधार नहीं मानते हैं। इसके साथ ही 15.69 प्रतिशत उत्तरदाता इस सम्बन्ध में अपना कोई उत्तर नहीं देते हैं। अन्तर्जातीय सम्बन्धों में पैतृक सम्बन्धों को आधार मानने के सम्बन्ध में 48.92 प्रतिशत उत्तरदाता अन्तर्जातीय सम्बन्धों में एक–दूसरे के साथ पैतृक सम्बन्धों को मानते हैं। 39.08 प्रतिशत उत्तदाता एक–दूसरे के साथ पैतृक सम्बन्धों को नहीं मानते हैं। इसके साथ ही 12 प्रतिशत उत्तरदाता पैतृक सम्बन्धों के आधार के सम्बन्ध में अपना कोई उत्तर नहीं देते हैं।

उत्तरदाताओं द्वारा अन्तर्जातीय सम्बन्धों का आधार जाति को मानने के सम्बन्ध में 51.69 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि अन्तर्जातीय सम्बन्धों का आधार जाति होती है। 39.39 प्रतिशत उत्तरदाता अन्तर्जातीय सम्बन्धों को जाति पर आधारित नहीं मानते हैं। इसके साथ ही 8.92 प्रतिशत उत्तरदाता इस सम्बन्ध में अपना कोई उत्तर नहीं देते हैं। अन्तर्जातीय सम्बन्धों के तहत किये जाने वाले कार्यों में विशेषीकरण होने के सम्बन्ध में 82.77 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि अन्तर्जातीय सम्बन्धों में किए जाने वाले कार्यों में विशेषीकरण होता है। इसके साथ ही 17.23 प्रतिशत उत्तरदाता कार्यों में विशेषीकरण नहीं होने की बात को स्वीकार करते हैं। अन्तर्जातीय सम्बन्धों को राजनीतिक सुदृढ़ता में महत्वपूर्ण मानने के सम्बन्ध में 57.54 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि अन्तर्जातीय सम्बन्धों से राजनीतिक सुदृढ़ता मिलती है। 28 प्रतिशत उत्तरदाता अन्तर्जातीय सम्बन्धों को राजनीतिक सुदृढ़ता में सहायक नहीं मानते हैं। जबकि 14.46 प्रतिशत उत्तरदाता इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकते हैं, की बात करते हैं।

उत्तरदाताओं द्वारा अन्तर्जातीय सम्बन्धों को धार्मिक आधार मानने के सम्बन्ध में 52.62 प्रतिशत उत्तरदाता अन्तर्जातीय सम्बन्धों का आधार धार्मिक मानते हैं। 37.85 प्रतिशत उत्तरदाता अन्तर्जातीय सम्बन्धों का आधार धार्मिक नहीं मानते हैं। इसके साथ ही 9.53 प्रतिशत उत्तरदाता अन्तर्जातीय सम्बन्धों के धार्मिक आधार के सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकते हैं, की बात करते हैं। अन्तर्जातीय सम्बन्धों को सामाजिक आधार मानने के सम्बन्ध में 50.15 प्रतिशत उत्तरदाता अन्तर्जातीय सम्बन्धों का सामाजिक आधार मानते हैं। 28.62 प्रतिशत उत्तरदाता अन्तर्जातीय सम्बन्धों का सामाजिक आधार नहीं मानते हैं। इसके साथ ही 21.23 प्रतिशत उत्तरदाता अन्तर्जातीय सम्बन्धों के सामाजिक आधार के सम्बन्ध में कुछ कह सकने की स्थिति में नहीं हैं। उत्तरदाताओं द्वारा अन्तर्जातीय सम्बन्धों को वैवाहिक सम्बन्धों का आधार मानने के सम्बन्ध में 53.23 प्रतिशत उत्तरदाता अन्तर्जातीय सम्बन्धों को वैवाहिक सम्बन्धों का आधार मानते हैं। 24.31 प्रतिशत उत्तरदाता अन्तर्जातीय सम्बन्धों को वैवाहिक सम्बन्धों का आधार नहीं मानते हैं। इसके साथ ही 22.46 प्रतिशत उत्तरदाता अन्तर्जातीय सम्बन्धों को वैवाहिक सम्बन्धों के आधार के सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकने की बात करते हैं।

अन्तर्जातीय सम्बन्ध वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित होने के सम्बन्ध में 42.16 प्रतिशत उत्तरदाता स्वीकार करते हैं कि अन्तर्जातीय सम्बन्ध वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित होते हैं। 36.61 प्रतिशत उत्तरदाता अन्तर्जातीय सम्बन्धों को वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित नहीं मानते हैं। इसके साथ ही 21.23 प्रतिशत उत्तरदाता अन्तर्जातीय सम्बन्धों के स्वरूप के विषय में अपना कोई उत्तर नहीं देते हैं। विभिन्न जातियों को सेवा देने के सम्बन्ध में 34.15 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि वे ब्राह्मणों को अपनी सेवाएं देते हैं तथा वे भी ब्राह्मणों की सेवाएं प्राप्त करते हैं। 33.54 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार वे क्षत्रियों को अपनी सेवाएं देते हैं और वे स्वयं भी उनकी सेवाएं लेते हैं, जबकि 32. 31 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि वे नीची जाति के लोगों को अपनी सेवाएं देते हैं तथा बदले में वे भी उनकी सेवाएं प्राप्त करते हैं।

अन्तर्जातीय सम्बन्धों को शोषण का आधार मानने के सम्बन्ध में 33.54 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि अन्तर्जातीय सम्बन्धों में शोषण होता है। 48.93 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार अन्तर्जातीय सम्बन्धों में शोषण नहीं होता है। जबकि 17.53 प्रतिशत उत्तरदाता इस विषय में अपना कोई उत्तर नहीं देते हैं। गाँव के शक्तिशाली लोगों की सेवा करने के लिए बाध्य किए जाने के सम्बन्ध में 94.46 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि उन्हें सेवाओं के लिए बाध्य नहीं किया जाता है, जबकि 5.54 प्रतिशत उत्तरदाता इस विषय में अपना कोई उत्तर नहीं देते हैं। अध्ययन क्षेत्र के चयनित उत्तरदाताओं में कोई भी ऐसा उत्तरदाता नहीं पाया गया जिसने शक्तिशाली लोगों द्वारा सेवा किए जाने के लिए बाध्य किए जाने की बात स्वीकार की हो। गाँव में पुरोहितों के महत्व के सम्बन्ध में 59.38 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि गाँवों में पुरोहितों का महत्व अधिक होता है। 34.77 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार गाँवों में पुरोहितों का महत्व अधिक नहीं होता है। जबकि 5.85 प्रतिशत उत्तरदाता तटस्थ पाए गए, उन्होंने इस विषय में अपना कोई उत्तर नहीं दिया। कर्मकाण्डों के प्रति लोगों के विश्वासों के सम्बन्ध में 39.08 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार कर्मकाण्डों के प्रति लोगों के विश्वासों में कमी आई है। 47.69 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि कर्मकाण्डों के प्रति लोगों के विश्वासों में कोई कमी नहीं आई है। जबकि 13.23 प्रतिशत उत्तरदाता इस विषय पर अपना कोई उत्तर नहीं देते हैं। पौरोहित्य कर्म को जजमानी व्यवस्था में द्वितीयक व्यवसाय मानने के सम्बन्ध में 44.62 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि पौरोहित्य

कर्म द्वितीयक व्यवसाय बन गया है। 34.46 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार पौरोहित्य कर्म द्वितीयक व्यवसाय नहीं है। जबकि 20.92 प्रतिशत उत्तरदाता इस विषय पर मौन हैं और वे अपना कोई उत्तर नहीं देते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. http://www.bharat brand.com, "भारतीय संस्कृति में ग्रामीण समुदाय"
2. श्रीनिवास, एम. एन. (1995) – 'सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया', ओरियेन्ट ब्लैक स्वान प्रकाशन।
3. शर्मा, एम. एन. (2001) – 'सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट एण्ड चेंज', राजीव प्रकाशन मेरठ, पृष्ठ– 83
4. बेते, आन्द्रे (1991) – 'दि रिप्रोडक्शन ऑफ इन–इक्वालिटी : ऑक्यूपेशन, कास्ट एण्ड फैमिली फ्रॉम कन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सोशियोलॉजी', न्यू सीरीज, वोल्यूम–25, इन के. एल. शर्मा (सम्पादक), 'सोशल इन–इक्वालिटी इन इंडिया, नई दिल्ली (1995), पृष्ठ : 115–14'
5. मुखर्जी, राधाकमल (1956) – 'ए जनरल थ्यौरी ऑफ सोसाइटी, इन बलजीत सिंह (एडिटर)', दि फ्रन्टियर ऑफ सोशल साइंस, पृष्ठ : 22–23
6. www.yourarticlelibrary.com 'जजमानी प्रणाली में शामिल कार्य, भूमिकाएं, मानदंड और मूल्य'
7. पूर्वोक्त।
8. www.hindiguider.com 'स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण समाज में परिवर्तन'
9. www.kailasheducation.com 'जजमानी व्यवस्था'
10. www.hiquora.com 'जजमानी प्रथा क्या है।'
11. www.wikipedia.org 'जजमानी प्रणाली'
12. www.kailasheducation.com 'जजमानी व्यवस्था की विशेषताएँ'
13. पूर्वोक्त।
14. www.yourarticlelibrary.com 'जजमानी प्रणाली, जजमानी प्रणाली की अवधारणा, कार्य और मूल्य'
15. www.kailasheducation.com 'जजमानी व्यवस्था के गुण अथवा महत्व'
16. www.library.com 'भारतीय जाति व्यवस्था में जजमानी प्रणाली : परिभाषा, कार्य और अन्य विवरण'
17. www.bharatdiscovery.org, "जजमानी प्रथा"
18. https://prarang.in, 'भारत की प्राचीन जजमानी प्रथा'
19. https://scotbuzz.org, 'जजमानी व्यवस्था क्या है, इसके पतन के कारण'
20. https://gkprashnuttar.com, 'जजमानी व्यवस्था क्या है'